न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

अपील प्रकरण संख्या – 31/2019 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2020

गोविन्द सिंह पिता शंभूसिंह राजपूत निवासी हंसेडा पटवार हल्का भगुनगर, तहसील जहाजपुर	बनाम	1. नारायण सिंह पिता शैतान सिंह राजपूत निवासी हंसेडा पटवार हल्का भगुनगर, तहसील जहाजपुर
–प्रार्थी		–विपक्षी

अपील प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2020

उपस्थित –

1. श्री बी. एल. बापना अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री आर. एन. गुप्ता एवं श्री देई लाल अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

आदेश

दिनांक 18.02.2020

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील ज्ञापन के परिशीलन से प्रकट है कि अपीलार्थी ने दो भिन्न प्रकरण संख्या क्रमशः 113/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 एवं प्रकरण संख्या 130/2018 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2019 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। उक्त दोनों ही भिन्न दिनांकों के आदेश हैं। जिनकी अपीलार्थी ने संयुक्त एक ही अपील पेश की हैं, ताकि अपील अवधि संबंधित तथ्य नजरअंदाज हो सके परन्तु अपील मूलतः अवधि बाधित हैं और अपील न्यायालय का विधिक दायित्व हैं कि अपील Entertain करने से पूर्व मियाद के प्रश्न को निर्णित करें और अपील अवधि बाधित अपीलों को Disallow किया जावे। निवेदन हैं कि आवेदन प्रत्यर्थी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी प्रकम पर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 03 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपील मेमों की शीर्षक में भिन्न भिन्न प्रकरण संख्या एवं भिन्न भिन्न निर्णय दिनांक अंकित हैं अर्थात् भिन्न भिन्न हेतुक है अर्थात दो हेतुक है। दो भिन्न आदेश की अपील एक साथ संकलित रूप से सम्भव नहीं है। कानून इसकी स्वीकृति नही देता हैं। यह बेसिक प्रिसिंपल ऑफ लॉ है कि संयुक्त अपील नही की जा सकती हैं। अपीलार्थी ने संयुक्त एक ही अपील पेश की हैं, ताकि अपील अवधि संबंधित तथ्य नजरअंदाज हो सके परन्तु अपील मूलतः अवधि बाधित हैं और अपील न्यायालय का विधिक दायित्व हैं कि अपील Entertain करने से पूर्व मियाद के प्रश्न को निर्णित करें और अपील अवधि बाधित अपीलों को Disallow किया जावे। रिव्यू की अपील नही होती है।

अपील करीब डेढ़ वर्ष बाद की हैं, जो मियाद बाहर हैं। निवेदन हैं कि आवेदन प्रत्यर्थी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी प्रक्रम पर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विधिक दृष्टान्त आर एल डब्ल्यू 2000(1) राज पेश किये।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी के प्रार्थना पत्र की बहस में बताया कि तहसीलदार जहाजपुर ने अनाधिकृत रूप से नामान्तरकरण की कार्यवाही की गयी जबकि ग्रामीण भूमि में ग्राम पंचायत को कार्यवाही का अधिकार हैं। चूंकि पत्रावली सं. 113/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 अंतिम रूप नहीं ले सका था जिससे वह अधूरा ही रहा। इस कारण से इसी क्रम में अपीलार्थी गोविन्दसिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर पुनः पत्रावली संख्या 130/2018 कायम की गयी और उसमें दिनांक 19.08.2019 को आदेश पारित किया गया और उसमें निर्देश दिया गया कि नामान्तरकरण संख्या 600 निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जावे, जिससे यह अपील इन दोनों आदेशों को समेकित करते हुए अंदर अवधि एक माह में प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में एक ही विषय वस्तु होने से इसको निरन्तरता में माना जायेगा। निवेदन हैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांकित 23.01.2020 को खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील मेमों के शीर्षक में तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 113/2017 आदेश दिनांक 10.04.2018 एवं प्रकरण संख्या 130/2018 आदेश दिनांक 19.08.2019 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की हैं। आदेश दिनांक 10.04.2018 की अपील के साथ दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नही किया हैं।

तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 113/2017 में प्रार्थी नारायण सिंह पुत्र शैतान सिंह राजपूत निवासी हन्सेडा हैं जिसमें पारित निर्णय दिनांक 10.04.2018 में अंकित है कि "गोपालकंवर पत्नी भंवरसिंह के बजाय नारायण सिंह पिता शैतानसिंह राजपूत निवासी हन्सेडा के नाम किया जाना उचित पाया जाता हैं।"

तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 130/2018 में प्रार्थी गोविन्द सिंह पुत्र शम्भुसिंह राजपूत निवासी हन्सेड़ा हैं जिसमें पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 में अंकित है कि " ग्राम हन्सेडा की आराजी नं. 193/18(शा.न. 194, 197) रकबा 2.00 भूमि गोपालकंवर पुत्री शैतानसिंह राजपूत के नाम दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी नारायण सिंह पिता शैतानसिंह राजपूत निवासी हन्सेडा के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।"

प्रकरण संख्या 113/17 में प्रार्थी नारायण सिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत निवासी हन्सेडा हैं, जबकि प्रकरण संख्या 130/2018 मे गोविन्द सिंह पुत्र शम्भूसिंह राजपूत निवासी हन्सेडा ने उक्त प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर 130/2018 से प्रकरण दर्ज किया गया। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में प्रार्थी पक्षकार भिन्न भिन्न हैं एवं निर्णय दिनांक भी भिन्न भिन्न हैं तथा अपीलार्थी ने दोनों प्रकरणों की समेकित अपील एक साथ प्रस्तुत की है।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर

अपीलार्थी ने तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 113/2017 निर्णय दिनांक 10.04.2018 की अपील दिनांक 16.09.2019 को प्रस्तुत की हैं। इस अपील के साथ कानून मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी संलग्न प्रस्तुत नहीं किया हैं। तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 113/2017 निर्णय दिनांक 10.04.2018 एवं प्रकरण संख्या 130/2018 निर्णय दिनांक 19.08.2019 की समेकित अपील प्रस्तुत की हैं, जबकि दोनों प्रकरणों की अपील नियमानुसार पृथक पृथक प्रस्तुत करनी चाहिये थी। समेकित अपील से प्रकरण संख्या 113/2017 निर्णय दिनांक 10.04.2018 मियाद बाहर हो जाने से प्रत्यर्थी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2020 स्वीकार किया जाता हैं एवं अपीलार्थी की अपील अवधि बाधित होने से खारिज की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 28-01-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा।